प्रभावी तिथि - 13 मई, 2021

वेदांता लिमिटेड
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

क. नीति उद्देश्य

वेदांता लिमिटेड ('वीईडीएल' या 'कंपनी') अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालित करने और अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी सुसंगत और अनुपालन के आधार पर काम करती है।

ख. वीईडीएल सीएसआर दर्शन

वेदांता लिमिटेड में हमारे पास अपने पड़ोस के समुदायों और राष्ट्र की सामाजिक भलाई में पुनर्निवेश करने का एक सुस्थापित इतिहास और प्रतिबद्धता है।

सीएसआर दृष्टिकोण

"सतत और समावेशी विकास के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना, जीवन में बदलाव लाना और राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना।"

हम मानते हैं कि

- हम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ साझेदारी करके देश के एकीकृत और समावेशी विकास को साकार करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और योगदान दे सकते हैं;
- हमारे व्यवसायों का सतत विकास हमारे हितधारकों, विशेष रूप से जिन समुदायों के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ सतत, दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों पर निर्भर है;
- सरकार, कॉर्पोरेट इकाईयों और नागरिक समाजों/सामुदायिक संस्थानों के साथ साझेदारी, प्रयासों, संसाधनों को पूरक बनाने और सतत समाधान बनाने के लिए एक मजबूत गुणक प्रदान करती है;
- हमारे कर्मचारियों में व्यवसाय में योगदान के साथ-साथ मजबूत समुदायों के निर्माण की दिशा में भी योगदान देने की क्षमता है।

ग. विषयगत फोकस क्षेत्र

हमारे कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, विशेष रूप से एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आधारभूत और आवश्यकता मूल्यांकन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अनुरूप समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तीकरण को प्रभावित करते हैं।
विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र होंगे -

(क) बाल कल्याण और शिक्षा

Sensitivity: Internal (C3)

(ख) महिला सशक्तिकरण

(ग) स्वास्थ्य देखभाल

(घ) पेयजल और स्वच्छता

(ङ) सतत कृषि और पशु कल्याण

(च) बाजार से जुड़े युवाओं को कौशल प्रदान करना

(छ) पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन

(ज) खेल और संस्कृति

(झ) सामुदायिक अवसंरचना का विकास

(ञ) आपदा न्यूनीकरण, बचाव, राहत और पुनर्वास सहित राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में भाग लें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं

सीएसआर गतिविधियां (अनुबंध 1) कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के अनुरूप हैं। कंपनी की सीएसआर समिति की संस्तुतियों के अनुसार, समय-समय पर उपरोक्त में संशोधन किया जा सकता है।

कंपनी की सीएसआर पहलों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और किसी भी अव्ययित राशि (उक्त वित्तीय वर्षों से अतिरिक्त व्यय का उपयोग करने के बाद) को चालू/स्थगित परियोजना में वर्गीकृत किया जाएगा और कानून की आवश्यकता के अनुसार एस्क्रो/फंड में जमा किया जाएगा।

घ. परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सीएसआर परियोजनाएं प्रत्येक तीन वर्ष में किए जाने वाले आवश्यकता मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर आधारित होंगी।

वेदांता में हम अपने सीएसआर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन मॉडलों पर विचार करेंगे।

- नागरिक समाज/एनजीओ, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कॉर्पोरेट इकाईयों, सरकार और सामुदायिक समूहों जैसे तीसरे पक्षों के साथ साझेदारी बनाकर;
- वेदांता द्वारा इन-हाउस कार्यान्वयन - जिसमें परियोजना का डिजाइन और वितरण शामिल है।

ङ. शासन - समीक्षा, निगरानी तंत्र और वार्षिक कार्य योजना का निर्माण

हम अपनी प्रक्रियाओं को परियोजना के पूरे जीवन चक्र में वेदांत तकनीकी मानकों के साथ

संरेखित करते हैं। बहु-स्तरीय शासन तंत्र, टीमों को परियोजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और जब भी आवश्यक हो आवश्यक सुधार करने में सक्षम बनाता है। इसमें शामिल हैं:

- सीएसआर टीमों द्वारा समय-समय पर आंतरिक समीक्षा की जाती है।
- सीएसआर एक्सको और मैनकॉम द्वारा परियोजनाओं को दिशा देने और नए अवसरों की खोज करने के लिए समीक्षा की जाती है।
- स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हर तीन साल में आधारभूत और आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है।
- कानून की प्रयोज्यता के अनुसार या स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से परियोजना/कार्यक्रम के पूरा होने पर परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन किया जाता है।

कंपनी की सीएसआर समिति, जो वार्षिक सीएसआर योजना/बजट को मंजूरी देने, बोर्ड नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को सुनिश्चित करने और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करेगी।

वार्षिक कार्य योजना, आवश्यकता आकलन और आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर चयनित परियोजना पर आधारित होगी।

च. लेखापरीक्षा

सभी सीएसआर गतिविधियाँ और उन पर किए गए व्यय, नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। कंपनी की सीएसआर समिति कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधनों के तहत सीएसआर नियमों के लागू प्रावधानों की आवश्यकता के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

छ. संचार

हम अपने सामाजिक कार्यक्रमों के परिणामों को स्वैच्छिक रूप से समय-समय पर अपने हितधारकों को बताएंगे।

ज. उत्तरदायित्व

इस नीति के अनुपालन का उत्तरदायित्व, सीएसआर समिति, निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधकों और वीईडीएल के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों और सलाहकारों की है।

झ. नीति की समीक्षा

सीएसआर नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा कंपनी की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित आधार पर की जाएगी।

अनुबंध 1

वेदांता लिमिटेड में सीएसआर गतिविधियाँ

शिक्षा

1. नंद घर
2. ई-कक्षा
3. वेदांता डीएवी छात्रवृत्ति कार्यक्रम
4. ऊँची उड़ान
5. वेदांता विद्यार्थी विकास योजना
6. छात्रवृत्ति
7. वेदांता मिनी साइंस लैब परियोजना
8. बाल संरक्षण परियोजना
9. मिड-डे मील
10. सायंकालीन अध्ययन केंद्र
11. प्रोजेक्ट प्रेरणा
12. एकीकृत विद्यालय विकास
13. प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केंद्र
14. बाल एवं युवा देखभाल केंद्र
15. प्रोजेक्ट कनेक्ट

सतत आजीविका

1. वैकल्पिक आजीविका अवसर परियोजना
2. ग्राम निर्माण
3. तामिरा मुथुकल - युवाओं का कौशल विकास
4. विभिन्न कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना
5. उन्नति परियोजना - वर्षा जल संचयन और कृषि को बढ़ावा देकर जल उपलब्धता सुनिश्चित करना
6. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (नीति आयोग)
7. कृषि आधारित आजीविका के लिए जीविका समृद्धि परियोजना
8. पशुपालन
9. बायोमास ऊर्जा उत्पादन
10. समाधान - कृषि और पशुधन विकास
11. जीविका और वाडी परियोजना
12. व्यापक आजीविका कार्यक्रम
13. उन्नति फ्रेश परियोजना
14. भूमि और जल प्रबंधन परियोजना
15. नई दिशा - सतत कृषि को बढ़ावा देना

Sensitivity: Internal (C3)

स्वास्थ्य

1. बाल्को स्वास्थ्य केंद्र
2. वेदांता अस्पताल/कंपनी द्वारा संचालित अस्पताल
3. मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां
4. सामुदायिक चिकित्सा केंद्र
5. विशेष स्वास्थ्य शिविर
6. नेत्र देखभाल सेवाएं
7. पेयजल परियोजनाएं
8. घरेलू स्वच्छता
9. आरोग्य परियोजना
10. मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन परियोजना

कौशल विकास

1. केयर्न एंटरप्राइज सेंटर बाड़मेर
2. सेसा टेक्निकल स्कूल
3. कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
4. कंप्यूटर साक्षरता केंद्र
5. वेदांत ईएसएल कौशल स्कूल
6. वेदांत कौशल स्कूल

महिला सशक्तिकरण

1. सखी - महिला सशक्तिकरण
2. शुभलक्ष्मी सहकारी - महिलाओं के लिए आजीविका
3. उन्नति परियोजना - महिलाओं का सशक्तिकरण

खेल एवं संस्कृति

1. सेसा फुटबॉल अकादमी
2. जिंक फुटबॉल अकादमी
3. प्रोजेक्ट द्रोणाचार्य- ईएसएल तीरंदाजी अकादमी
4. समुदाय के लिए खेल टूर्नामेंट का समर्थन करना
5. समुदाय के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना
6. सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना

पर्यावरण

1. तालाबों, सिंचाई चैनलों की सफाई के लिए सहायता
2. वृक्षारोपण
3. जल संचयन संरचनाएं
4. सामुदायिक वनरोपण और जैव-विविधता

सामुदायिक विकास

सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन जैसे संपर्क मार्ग, सामुदायिक भवन, विद्यालयों का उन्नयन, स्वच्छता सुविधाएं आदि।

Sensitivity: Internal (C3)